कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

मुख्यालय/HEADQUARTERS
पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi- 02
Phone: 011-23214092, VOIP: 10011067
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

Pt.F. No.:D-12/16/1/2012-E-VI.Vol.II **Dated: 24/08/ 2022**

To,

All the Regional Director/Director (Medical) Dehli /
Director (Medical) NOIDA/ Medical Superintendents,
ESIC Regional Office/ Model Hospitals/ODCs,
___________________________.

Subject :	**Request by Nodal Officers for waiver of condition of furnishing Performance Bank Guarantee by Private Hospitals/labs for empanelment under ESIC for cashless CGHS treatment to pensioner of ESIC under ESIC PMS, 2006-reg.**

Madam/Sir,

I am directed to make the references received in this office from Nodal Officers under ESIC PMS for waiver of condition of furnishing Performance Bank Guarantee by private hsoptials /labs for empanelment in ESIC under ESIC Pensioners' Medical Scheme, 2006 for cashless treatment to ESIC Pensioners.

In this regard, it is stated that the ESIC PMS has been formulated based upon the medical facility available under CGHS to Central Govt. Pensioners. The Standard MOU for empanelment under CGHS speaks of PBG amounting to Rs.10.00 lakhs and subsequently specifying the conditions under which the PBG is liable to be forfeited which is mainly related to shortcomings on the part of empanelled institutions in delivering the medical facility to the Central Govt. pensioners. At present, the amount of PBG is required to be deposited by to be empanelled hospitals/labs have been fixed by SST Cell, Hqrs. Office in the Standard MOU framed in ESIC.

The Performance Bank Guarantee is required under CGHS to guard the interest of the beneficiaries in the hands of unruly medical institutions as in case of violation of MOU, the PBG is subject to forfeit. Likewise, the waiver of the same in ESIC is prone to misuse and lead to deficiency in delivering the medical services to our own pensioners. Therefore, the waiver of condition for PGB seems not justified.

However, the Competent Authroity has considered the difficulty faced by the Nodal Officers for empanlling private hosptials/labs particularly in Delhi & Mumbai region and elsewhere also and approved the empanelment of those medical hospitals/labs without asking for separate PBG which are already catering the medical facility to Insured Persons by clubbing the PBG already submitted by the private medical institutions and entering into MOU for extending medical facility to pensioners of ESIC at CGHS rates on cashless basis as per Revised Guidelines issued under ESIC PMS, 2006.

This is issued with the approval of Director General.

भवदीय,

Signed by PANKAJ KUMAR
(पकज कमार)
Date: 31-08-2022 12:25:26
सहायक निदेशक(स्था.6)
Reason: Approved

Copy to:

1. Website Content Manager for uploading on the website of ESIC.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

मुख्यालय/HEADQUARTERS
पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi- 02
Phone: 011-23214092, VOIP: 10011067
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

पार्ट.फा.सं.:डी-**12/16/1/2012**-स्था.-**VI.Vol.II** दिनांक:**24/08/2022**

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय निदेशक /निदेशक(चि.) दिल्ली एवं नोएडा/चिकित्सा अधीक्षक,
कराबी निगम क्षेत्रीय कार्यालय /आदर्श चिकित्सालय/व्यवसायिक रोग केंद्र,
_______________________.

विषय :	ईएसआईसी पीएमएस, **2006** के तहत ईएसआईसी के पेंशनभोगियों को कैशलेस सीजीएचएस उपचार के लिए ईएसआईसी के तहत अनुबंधित करने के लिए निजी अस्पतालों/प्रयोगशालाओं द्वारा प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की शर्त से छूट के लिए नोडल अधिकारियों द्वारा अनुरोध- के संबंध में।

महोदया/महोदय,

मुझे इस कार्यालय में ESIC PMS, 2006 के अंतर्गत नोडल अधिकारियों द्वारा निजी अस्पताल / प्रयोगशाला द्वारा निगम के साथ क.रा.वी. पेंशनरों को नगदरहित चिकित्सा हितलाभ उपलब्ध कराने के लिए अनुवंध की शर्त परफॉरमेंस बैंक गारंटी को छूट प्रदान करने हेतु प्राप्त सन्दर्भों का उल्लेख करने का आदेश हुआ है I

इस सन्दर्भ में विदित हो कि ESIC PMS को केंद्र सरकार के पेंशनरों को CGHS के तहत उपलब्ध चिकित्सा सुविधा के आधार पर तैयार किया गया है I CGHS के तहत मानक समझौता ज्ञापन के अनुबंध शर्तों के अंतर्गत रूपए 10.00 लाख के परफॉरमेंस बैंक गारंटी (PBG) का प्रावधान निहित है एवं यह भी उपलब्ध है कि किन परिस्थितयों में / कारणों के तहत परफॉरमेंस बैंक गारंटी को जब्त किया जाएगा, जो कि मुख्य रूप से निजी अनुबंधित चिकित्सा संस्थानों द्वारा केंद्र सरकार के पेंशनरों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध/ प्रदान ना करने की स्थिति से सम्बंधित हैI वर्तमान में निगम मुख्यालय के SST Cell द्वारा निर्मित निगम में प्रचलित मानक समझौता ज्ञापन के अनुवंध शर्तों के अंतर्गत परफॉरमेंस बैंक गारंटी (PBG) का प्रावधान निहित है I

CGHS के तहत अनुबंध शर्तों के तहत परफॉरमेंस बैंक गारंटी (PBG) का प्रावधान का उद्देश्य अनियंत्रित निजी अनुबंधित चिकित्सा संस्थानों के हाथों चिकित्सा लाभार्थियों के हितों की रक्षा करना है, क्योंकि मानक समझौता ज्ञापन की शर्तों की उल्लंघन के मामले में परफॉरमेंस बैंक गारंटी (PBG)) जब्ती के अधीन है I इसी तरह निगम में इसकी छूट का दुरूपयोग होने की संभावना है और हमारे अपने पेंशनभोगियों को चिकित्सा सेवाएँ देने में कमी का कारण बनता है I इसलिए, परफॉरमेंस बैंक गारंटी (PBG) के किये शर्त की छूट उचित नहीं लगती है I

हालांकि, सक्षम प्राधिकारी ने विशेष रूप से दिल्ली और मुंबई क्षेत्र में और अन्य जगहों पर भी निजी अस्पतालों/प्रयोगशालाओं को अनुबंधित करने के लिए नोडल अधिकारियों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाईयों पर विचार किया है और उन चिकित्सा अस्पतालों/प्रयोगशालाओं को अलग से पीबीजी मांगे बिना अनुबंधित करने को मंजूरी दे दी है जो पहले से ही बीमाकृत व्यक्ति (IP) के चिकित्सा हितलाभ के लिए अनुबंधित हैं I इस सन्दर्भ में ईएसआईसी पीएमएस, 2006 के तहत जारी संशोधित दिशानिर्देशों के तहत निजी चिकित्सा संस्थानों द्वारा उपरोक्त-वर्णित पहले से प्रस्तुत पीबीजी को मानते हुए उन संस्थानों के साथ नोडल अधिकारियों द्वारा समझौता ज्ञापन निर्णित किया जाएगा जिसमें ईएसआईसी के पेंशनरों को सीजीएचएस दरों पर नगदरहित चिकित्सा सुविधा प्रदान करना सुनिश्चित होगा।

यह महानिदेशक, महोदय की सहमति से जारी किया जाता है।

Signed by PANKAJ KUMAR
Date: 31-08-2022 12:36:03
Reason: Approved

भवदीय
(पंकज कुमार)
सहायक निदेशक(स्था.6)

प्रतिलिपि:

1. वेबसाइट सामग्री प्रबन्धक, क.रा.बी. निगम (मु.) को निगम वैबसाइट पर पोस्ट करने हेतु।